फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर न्यायालय जयपुर शहर प्रथम — अजीत सिंह बनाम [illegible]

संख्या [illegible]

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/1/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत ~~धारा~~ आदेश 07 नियम 11 सि० प्र० सं० पेश हुई है। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर हैं। प्रार्थी / प्रतिवादी सं-17 ने दौराने बहस अपने प्रा० पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष खाता सं० 89, 126, 127, 141 कुल 04 खातों के सम्बन्ध में एक दावा अन्तर्गत धारा -53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया है, जिसमे वादी / अप्रार्थी द्वारा विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। उपर्युक्त वर्णित चारों खातों में खातेदार काश्तकार अलग-अलग	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
नाम न्या० जयपुर शहर प्रथम
अजीतसिंह बनाम सिरदार
केस संख्या 4109 /2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	31/1/25	है, उनका हिस्सा रकबा भी भिन्न है, तो प्रत्येक खाते की भूमि के लिए पृथक-पृथक वाद लाने का अधिकार है। पृथक-पृथक खातों का एक ही वाद धारा -53(5) की विधि द्वारा वा० वर्जित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादी का वाद धारा-53(5) राज० काश्तकारी अधि० विधि से वर्जित होने के कारण खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी /वादी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के खाता संख्या 89, 126, 127 एवं 141 एक ही जगह, एक ही

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

फर्द अहकाम

बनाम

अजीत सिंह । [illegible]

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

यालय

या

6190 /2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31/1/25	गांव में स्थित है तथा एक-दूसरे से सटवा है। खाता सं॰ 126 व 89 मुख्य डामर रोड पर स्थित है तथा खाता सं॰ 127 व 41 की भूमि, खाता सं॰ 89 व 126 के पीछे सटवा स्थित है। इस कारण एक वाद से ही उक्त भूमियों में सभी खातेदारान को रास्ता उपलब्ध हो सकता है। प्रार्थी / वादी ने दौराने बहस यह भी जाहिर किया कि इन समस्त खातों का अलग-अलग दावा किया जाता है तो पीछे वाले खसरा नम्बरों में आने जाने हेतु खातेदारान को रास्ता उपलब्ध नहीं होगा, पक्षकारों	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

बनाम

अमीरअली / किशन

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 6140/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	31/1/25	में वाद बाहुल्यता बढ़ती। समस्त चारों खातों में वादीगण का हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्तागण उभय-पक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन करने पर हम यह पाते है कि वादी / अप्रार्थी ने यह दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा- 53 एवं 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है। उक्त दावे में एक से अधिक खातों के विभाजन के

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
31/1/25	लिए अनुतोष चाहा गया है, जिसमें पक्षकार भिन्न-भिन्न हैं। धारा 53(5) राज० काश्तकारी अधिनियम, 1955 में प्रावधान है कि "एक से अधिक भूमि-क्षेत्रों में बँटवारे के लिए एक ही दावा किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें के ही पक्षकार हों"। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में जो एक से अधिक भूमि-क्षेत्रों को विभाजन हेतु पेश हुआ है, उसके पक्षकार भी भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए वादी का वाद धारा 53(5) राज० काश्तकारी अधि. 1955 से बाधित है। सारतः प्रार्थी का प्रा०पत्र आदेश 07 नियम 11, सि० प्र० सं०	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

बनाम

या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
31/1/25	स्वीकार किया जाकर, वादी क वाद विधि से बाधित होने पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को 31/1/25 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम